

आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)

आयकर अपीलीय अधिकरण, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5 क के तहत जनवरी, 1941 में स्थापित एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जो प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अंतर्गत दाखिल अपीलों का निपटान करती है। आईटीएटी द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं और अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तभी दाखिल की जा सकती है जब विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तय करना हो। 1941 में छः सदस्यों के साथ गठित तीन पीठें — दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में कार्यरत थीं। पीठों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और आज देश में 27 स्थानों पर, जहां उच्च न्यायालय कार्यरत हैं, अधिकरण की 63 पीठें काम कर रही हैं।

भारत में कर व्यवस्था का प्रारंभ 1860 के अधिनियम के द्वारा हुआ जिसमें पंचायतें कर निर्धारण करती थीं और करदाता उनके आदेश से असंतुष्ट होने पर जिला समाहर्ता के समक्ष अपील कर सकता था। उसका फैसला अंतिम होता था। तत्पश्चात 1868, 1869, 1870, 1872, 1886, 1916 और 1917 के आनुक्रमिक अधिनियमों के द्वारा जिला-समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध राजस्व विभाग के आयुक्त के पास अपील का प्रावधान किया गया। किंतु, इन अधिनियमों में उच्च न्यायालय में अपील की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान "आयकर अधिनियम" में उच्च न्यायालयों को परामर्शी न्यायालय बनाया गया है।

इस अधिनियम को 1922 में संशोधित किया गया। किंतु, न्यायिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दीवानी अदालतों को कर-संबंधी मामलों के मुकदमों पर विचार करने पर रोक लगने के कारण, इस विचार को गति मिली कि आयकर अधिनियम से असंतुष्ट अपीलार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में संशोधनों पर विचार करने के लिए नवंबर, 1938 में चयन समिति नियुक्त की गई, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णयों से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण के रूप में एक अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप, आयकर

अधिनियम, 1922 की धारा 5क में किए गए संशोधन के आधार पर दिनांक 25.01.1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया। अपनी स्थापना के बाद से, आयकर अपीलीय अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के प्रसार एवं विस्तार के परिणामस्वरूप हुए आवश्यक अनुवर्ती परिवर्तनों के अलावा, लगभग उसी तर्ज पर कार्य कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में अधिकरण की संरचना कार्यपद्धति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण का आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय' इसका प्रेरणा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि बिना पक्षपात के सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना। आयकर अपीलीय अधिकरण अविलंब न्याय देने के साथ-साथ, प्रत्यक्ष कर के विषय पर अपने विशेषज्ञों के ज्ञान के लिए जाना जाता है। अधिकरण तकनीकियों से मुक्त एक सस्ता एवं सुगम न्यायालय है जो विवादियों को न्याय प्रदान करने की अपनी अद्वितीयता के लिए विख्यात है। देश का सबसे पुराना अधिकरण होने के नाते, आयकर अपीलीय अधिकरण को 'आदि अधिकरण' के नाम से भी पुकारा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, आयकर अपीलीय अधिकरण ने बहुत सराहना पाई है, क्योंकि इसके सदस्यों ने न्यायपालिका एवं दूसरे समान रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों के उच्च पदों की शोभा बढ़ाई है। अब तक, आयकर अपीलीय अधिकरण के लगभग 32 भूतपूर्व सदस्य/उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदोन्नत होकर गए हैं, जिनमें से दो उच्चतम न्यायालय में भी गए हैं।

डाक विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर स्मारक डाक-टिकट जारी करके प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :-

मूलपाठ : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित

डाक-टिकट/प्रथम दिवस : अलका शर्मा
आवरण / विरूपण



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसा
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें	: 4.0 लाख
Stamps Printed	: 0.4 Million
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास हैं।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) is a quasi judicial institution set up in January 1941 under Section 5A of the Income Tax Act, 1922 and specializes in dealing with appeals under the Direct Taxes Acts. The orders passed by the ITAT are final and an appeal lies to the High Court only if a substantial question of law arises for determination. Starting in 1941 with six Members constituting three Benches – one each at Delhi, Kolkata (Calcutta) and Mumbai (Bombay), the number of Benches has progressively increased and presently ITAT has 63 Benches at 27 different stations in the country covering almost all the cities having a seat of the High Court.

Tax was introduced in India by the Act of 1860, where assessment was made by a Panchayat and a person feeling aggrieved by the order could appeal to the Collector of the District, whose order was final. Subsequently, the successive Acts of 1868, 1869, 1870, 1872, 1886, 1916 and 1917 made improvements providing for an appeal from the order of the Collector of the District to the Commissioner of Revenue of the Division but no reference was available to the High Court under these Acts. "Income Tax Act" in its modern form was introduced which legislated advisory jurisdiction to the High Courts.

The Act was revamped in 1922 but did not introduce any changes in the adjudicatory structure. A strong desire for establishing an independent forum for redressal of assesses aggrieved under the Income Tax Act gathered momentum especially considering that Civil Courts were prohibited from entertaining litigation in the tax matters. In November 1938 Select Committee was appointed to consider amendments to the Indian Income Tax Act, 1922 which, inter-alia, recommended establishment of a Tribunal as an independent

appellate Authority for hearing appeals arising from the decision of the Appellate Assistant Commissioner. As a consequence, ITAT was constituted on January 25th, 1941 by virtue of section 5A of the Income Tax Act, 1922. Since its establishment, ITAT is functioning more or less on similar lines except for necessary consequential changes introduced on account of its expansion and extension of its jurisdiction. There have been no fundamental changes either in the constitution or the functioning of the Tribunal in the Income Tax Act, 1961.


ITAT draws inspiration from its motto '*Nishpaksh Sulabh Satvar Nyay*', which means impartial, easy and speedy justice. ITAT stands out for its uniqueness of imparting justice to the litigants, by an inexpensive, easily accessible forum free from technicalities, regarded for its expert knowledge on the subject of Direct Taxes, besides rendering expeditious justice. More often than not, ITAT is referred to as 'Mother Tribunal' being the oldest Tribunal in the country. Over the years, ITAT has earned accolades, as its Members have adorned high positions in the judiciary and other equally important institutions. So far, almost 32 erstwhile Members/Vice Presidents/ and Presidents of ITAT have been elevated to various High Courts including two to the Supreme Court.

Department of Posts is happy to issue a commemorate postage stamp on the occasion of celebration of 75th year of existence of Income Tax Appellate Tribunal.

Credits:-

Text	: Based on the material received from proponent
Stamp/FDC/	: Alka Sharma
Cancellation	

भारतीय डाक विभाग Department of Posts India



प्लैटिनम जयन्ती PLATINUM JUBILEE
आयकर अपीलीय अधिकरण
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL



विवरणिका BROCHURE